न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 57 / 2019

1 रूघा पुत्र नाथा जाति जाट आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 संतोष देवी पत्नी विधाप्रकाश।
2 सुरेश कुमार पुत्र विधाप्रकाश।
3 खेमचन्द पुत्र विधाप्रकाश।
4 सुभाष कुमार पुत्र कुरड़ाराम।
5 दिनेश कुमार पुत्र कुरड़ाराम।
6 शरबती देवी पत्नी कुरड़ाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिपराली जरिये प्रबन्धक।
8 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रैवासा जरिये प्रबन्धक।
9 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर मुकदमा उनवानी रूघा बनाम संतोष आदि मुकदमा नम्बर 86 / 2017 निर्णय दिनांक 23.07.2019 में पारित निर्णय वादी की आपति बंटवारा प्रस्ताव को निरस्त कर अन्तिम डिक्री जारी की गई है के विरूद्व अपील।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह राजपूत, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 86/2017 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर1433,1434,1444,1445,1446,1447,1449,1450,1451,1453,1454,1455,1456, 1495,1506,1507,1508,1511,1512,1513,1542 के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 28.05.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की एवं विचाराधीन निर्णय दिनांक 23.07.2019 से अन्तिम डिक्री पारित की है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट/वादी द्वारा खसरा नम्बर 1542 रकबा 0.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण को कदीम से काश्त किया जाता रहा है। वर्तमान में भी अपीलांट सम्पूर्ण रकबा पर काबिज है। जिसमें से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 को 0.04 हैक्टेयर भूमि देने का कोई तुक नहीं है। वैसे भी कानूनन भूमि के छोटे टुकड़े भी नहीं किये जा सकते है। खसरा नम्बर 1495 रकबा 2.24 हैक्टेयर में से अपीलांट को 0. 17 हैक्टेयर भूमि देना प्रस्तावित कर नये खसरा नम्बर 1595/1 कायम किये है। शेष रकबा 2.07 हैक्टेयर को नये खसरा नम्बर 1495/2 कायम कर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 को देना प्रस्तावित कर नक्शा में उतर की तरफ नये खसरा नम्बर 1495/1 कायम कर खसरा नम्बर 1542 व 1495 में तोड़

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मरोड़ करके आड़ा तिरछा करने से पक्षकारान के मध्य अनावश्यक नया विवाद तहसीलदार दांतारामगढ़ व पटवारी हल्का द्वारा पैदा कर दिया गया है। जो मौके की स्थिति के विपरित है। जिसके सम्बंध में अपीलांट द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति की थी। जिस पर तहसीलदार दांतारामगढ़ व पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को विश्वास में लेकर बंटवारा प्रस्ताव पर उसकी अंगूठा निशानी करवा ली और कहा गया कि आपको खसरा नम्बर 1542 करबा 0.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण व इसके पश्चिम में अवस्थित खसरा नम्बर 1495 में से 0.13 हैक्टेयर भूमि उतर से दक्षिण की तरफ आपको देना बंटवारा प्रस्ताव में अंकित कर देंगे। इसी विश्वास पर अपीलांट ने बंटवारा प्रस्ताव पर अंगूठा निशानी कर दी। तत्पश्चात इसके विपरित बंटवारा प्रस्ताव पेश कर दिया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा आपत्ति विचारण न्यायालय में करने पर विचारण न्यायालय ने अपीलांट की आपत्ति को यह कह कर खारिज कर दिया कि बंटवारा प्रस्ताव पर दोनों पक्षकारान के हस्ताक्षर व सहमति रही है व ऐतिहासिक उल्टफेर नहीं होने से आपत्ति को खारिज किया जाता है। अपीलांट को खसरा नम्बर 1542 रकबा 0.68 हैक्टेयर सम्पूर्ण व इसके पश्चिम की तरफ उतर से दक्षिण खसरा नम्बर 1495 में से 0.13 हैक्टेयर भूमि देने बाबत पक्षकारान के मध्य कब्जा मुताबिक सहमति होने के कारण ही अपीलांट ने खसरा नम्बर 1433,1450, 1453 जो रास्ता की भूमि है मे से अपीलांट का 1/3 हिस्सा है। शेष 2/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 का है। इस विवाद को टालने के आशय से अपीलांट ने अपने 1/3 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्सा देने बाबत सहमति प्रदान कर दी। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर आयी सबूत साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नहीं करके मौके की भौतिक स्थिति के विपरित निर्णय देने के कारण भी विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव कमांक भूअ/2019/1591 दिनांक 03.06.2019 पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा अपीलांट की मौजुदगी में तैयार किया गया है एवं इस विभाजन प्रस्ताव से सभी पक्षकार सहमत है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर अपीलांट की आपत्ति का निस्तारण कर विधिक रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। अपीलांट ने अपील में जो बिन्दु उठाये है उनके समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर